



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23—जुलाई 29, 2011 (श्रावण 1, 1933)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23—JULY 29, 2011 (SRAVANA 1, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(शहरी बैंक विभाग)

मुंबई-400018, दिनांक 3 अप्रैल 1998

श.बै.वि. सं. बीआर. 150/16.05.00/97-98--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :--

1. "भारत को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र"

शब्दों के लिए

"भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लि. मुंबई" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

एस. ए. हुसैन
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2011

सं. राआबैंक. एचएफसी.विनि.-5/सीएमडी/2011--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 29ए की उप-धारा (1) की धारा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक एक आवास वित्त संस्थान के लिये जोकि एक कम्पनी है और आवास वित्त संस्थान का कारोबार करता है, के लिये न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि एतद्वारा निर्धारित करता है अर्थात् :--

- (i) 30 जून, 2012 तक 4 करोड़ रु.
- (ii) 30 जून, 2013 तक 7 करोड़ रु., और
- (iii) 31 मार्च, 2014 तक 10 करोड़ रु.।

आर. वी. वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(URBAN BANKS DEPARTMENT)

Mumbai-400018, the 3rd April 1998

Ref. UBD. No. BR. 150/16.05.00/97-98—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act, namely,

For the words "Bharat Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra"

The words "Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Ltd., Mumbai" shall be substituted.

S. A. HUSSAIN
Executive Director

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 28th June 2011

No. NHB.HFC.REG-5/CMD/2011—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the National Housing Bank, hereby specifies the minimum of net owned fund required to be achieved by a housing finance institution which is a company and carries on the business of housing finance institution, viz.,

- (i) Rs. 4 crore by June 30, 2012,
- (ii) Rs. 7 crore by June 30, 2013, and
- (iii) Rs. 10 crore by March 31, 2014.

R. V. VERMA
Chairman and Managing Director